मूल्यः रूपया 500/- (रूपया पाँच सौ) मात्र निविदा प्रपत्र सं0

निविदा प्रपत्र

केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उप अंचल, सासाराम अंतर्गत शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम जिला-रोहतास, बिहार स्थित तालाब में मछली पालने, पकड़ने एवं उसकी साफ सफाई हेतु **(जैसा है वैसा ही के आधार पर)** अनुज्ञप्ति के मंजूरी हेतु निविदा।

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति
द्वारा- अधीक्षण पुरातत्वविद्,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण,
पटना अंचल, जे0सी0 रोड, अन्टा घाट, पटना।

मैं / हमलोग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, **उप अंचल, सासाराम अंतर्गत शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम जिला-रोहतास, बिहार स्थित तालाब में मछली पालने, पकड़ने एवं उसकी साफ सफाई** हेतु ज्ञापन में अन्तर्विष्ट अवधि के लिए अनुबंध के निबंधन एवं शर्तो के साथ अनुज्ञप्ति के मंजूरी हेतु निविदा प्रस्तुत करता हूँ / हैं।

(क) विवरण - **उप अंचल, सासाराम अंतर्गत शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम जिला-रोहतास बिहार स्थित तालाब में मछली पालने, पकड़ने एवं उसकी साफ-सफाई के लिए अनुज्ञप्ति।**

(ख) आरंभ - दिनांक 01.03.2022 से 28.02.2024 तक की अवधि के लिए अनुबंध।

(ग) अग्रिम राशि- रूपये ....(रूपये ....) डी0डी0सं.............................)

(घ) निविदित राशि- रूपये (शब्दों में)- ....

मैं / हमलोग अनुबंध के निबंधन एवं शर्तो के साथ दिनांक .... से .... तक की संविदा की अवधि के लिए निविदा करता हूँ/हैं।

मैं/हमलोग अनुबंध के ज्ञापन में अन्तर्विष्ट निबंधन एवं शर्तों को मानने के लिए सहमत हूँ/हैं, जो मेरे / हमलोग द्वारा पूर्णरूप से पढ़ा एवं समझा गया है। भूल/चूक की स्थिति में, मेरे/हमलोगों द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि, राष्ट्रपति, भारत सरकार या उनके उत्तराधिकारी (सक्षम अधिकारी) के पक्ष में जब्त किया जाएगा। मैं / हमलोग, निविदा प्रपत्र में संलग्न अनुबंध के निष्पादन का वचन देता हूँ/हैं।

मैं/हमलोग राष्ट्रीय बैंक द्वारा प्रदत्त डी0डी0 सं. .... रूपये ....का डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ अग्रिम राशि के रूप में जमा कर रहा हूँ/हैं, जो अनुबंध ज्ञापन के नियम के तहत तथा सफल निविदा के स्थिति में, प्रतिभूति राशि के रूप में परिवर्तित होगा जिसकी पूरी राशि, बिना किसी पूर्वाग्रह के, भारत के राष्ट्रपति या उत्तराधिकारी (सक्षम अधिकारी) के पक्ष में जब्त किया जाए।

कार्यालय, निविदा के समाप्ति की तिथि से तीन महीने की अवधि तक पुनः स्वीकार हेतु खुला रहेगा।

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

दिनांकः–

गवाहः–

पता एवं व्यवसायः–

स्वामित्व, बिक्री की स्थिति में निविदा स्वंय स्वामी द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए या उसके द्वारा अधिकृत अटॉर्नी द्वारा। फर्म साझेदारी की स्थिति में मध्यस्थ नियम के तहत साझेदारों को आपसी अनुबंध–दस्तावेज के आधार पर, निविदा सभी साझेदारों द्वारा या उनके द्वारा अधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यदि निविदाकर्ता/निविदाकार किसी कम्पनी के मालिक हैं तो निविदा एवं अनुबंध पर स्वयं मालिक को हस्ताक्षर करना होगा।

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, अधीक्षण पुरातत्वविद् का कार्यालय उपरोक्त निविदा स्वीकार करता है।

निबंधन एवं शर्तें

1. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के केन्द्रीय संरक्षित स्मारक, उप अंचल, **सासाराम अंतर्गत शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम जिला–रोहतास, बिहार** स्थित तालाब में मछली पालने, पकड़ने एवं उसकी साफ–सफाई हेतु दिनांक 01.03. 2022 **से** 28.02.2024 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित निविदा प्रपत्र का मूल्य 500 रूपये के साथ अनुज्ञप्ति निर्गत हेतु मुहरबंद निविदा आवंटित करता है। निविदाकार/निविदाकर्ता को निम्नलिखित अनुबंध मान्य होगा।

2. निविदाकार/निविदाकर्ता को उप अंचल, **सासाराम अंतर्गत शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम जिला–रोहतास, बिहार** स्थित तालाब में मछली पालने, पकड़ने एवं उसकी साफ–सफाई को आरंभ करने के पूर्व उचित मुल्य के स्टाम्प पेपर के साथ लिखित अनुबंध करना होगा। स्टाम्प पेपर एवं निबंधन शुल्क का खर्च स्वयं निविदाकार द्वारा देय होगा। निविदा स्वीकार करने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर निविदाकार को अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में, निविदाकार के अग्रिम राशि निम्नलिखित शर्तो के तहत जब्त कर लिया जाएगा।

3. जिस निविदाकार का निविदा स्वीकार किया जाएगा उन्हें संविदा–प्रपत्र में दर्शाये गये अनुज्ञप्ति के शर्तो का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

4. दिनांक 21.02.2022 को 11:30 बजे पूर्वाह्न तक अधोहस्ताक्षरी द्वारा निविदा प्राप्त किया जाएगा तथा उसी दिन 12:00 बजे पूर्वाह्न अधोहस्ताक्षरी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निविदाकार/डाककर्ता के उपस्थिति में निविदा खोली जाएगी एवं बोली लगायी जाएगी।

5. अव्यस्क द्वारा की गई निविदा तब तक स्वीकार नहीं होगा जबतक कि उसकी ओर से अभिभावक द्वारा निविदा हस्ताक्षरित नहीं होगा।

6. निविदाकार/निविदाकर्ता को अग्रिम राशि के रुप में किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा प्रदत्त 50000/– (रूपया पचास हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा के साथ जमा करना होगा, जो असफल निविदाकार को वापस कर दिया जाएगा। यह अग्रिम राशि, किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा प्रदत्त बैंक ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरी के पक्ष में देय होना चाहिए। जिस निविदाकार का निविदा स्वीकार होगा उसके अग्रिम राशि के रुप में जमा बैंक ड्राफ्ट को लौटाया नहीं जाएगा तथा इस राशि को प्रतिभूति राशि के रूप में परिवर्तित समझा जाएगा। वैसे सफल निविदाकार की अग्रिम राशि, जो अनुज्ञप्ति को अस्वीकार करेगा या जो अनुबंध–निष्पादन में असफल होगा या जो निविदा शुल्क जमा नहीं करेगा, जब्त कर लिया जाएगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

7. अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त तालाब में मछली पालने, पकड़ने एवं उसकी साफ–सफाई के लिए एक विशेष अवधि दिनांक 01.03.2022 **से** 28.02.2024 तक के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है, जो अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।

8. निविदा अगर किसी फर्म/संस्था द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो ऐसी स्थिति में संस्था के प्रत्येक साझेदार द्वारा निविदा हस्ताक्षरित होगा। किसी साझेदार की अनुपस्थिति में उसके द्वारा अधिकृत अटॉर्नी द्वारा निविदा हस्ताक्षरित होगा तथा संस्था के साझेदारों को स्पष्ट करना होगा कि संस्था भारतीय साझेदारी अधिनियम के तहत पंजीकृत है।

9. निविदा में दर्शाये गये राशि रूपये में लिखना होगा जिसे अंकों एवं शब्दों में भी दर्शाना होगा।

10. किसी भी परिस्थिति में निविदा शुल्क में कोई छूट या रियायत नहीं दी जाएगी।

11. अधीक्षण पुरातत्वविद् भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल के पास बिना कोई कारण दर्शाये निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

12. चूँकि यह समझा जाएगा कि निविदाकार निविदा के पहले अनुबंध में दर्शाये गये सभी निबंधन एवं शर्तों को अध्ययन कर लिया है तथा उसके अनुपालन हेतु मान्य है।

13. 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को उपरोक्त कार्य हेतु अनुज्ञप्ति अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

14. सफल निविदाकार के निविदा स्वीकार होने पर उन्हें अग्रिम के रूप में अनुज्ञप्ति राशि जमा करना होगा, जो किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा प्रदत्त बैंक ड्राफ्ट के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना में देय होगा।

15. अनुज्ञप्ति राशि प्राप्त होने तथा अनुबंध निष्पादन के बाद ही उक्त तालाब में मछली पालने, पकड़ने एवं उसकी साफ–सफाई हेतु उन्हें सौंपा जाएगा।

16. नगरपालिका बोर्ड के नियमों को, यदि कोई नियम है, तो उसे पालन करना होगा तथा किसी प्रकार का उल्लंधन के लिए स्वयं निविदाकार उत्तरदायी होगा।

17. प्रत्येक निविदाकार अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल पटना को अपना आवेदन/निविदा प्रपत्र भेजेंगे।

18. निविदाकार उपरोक्त तालाब को किसी भी अन्य जन को उप पट्टा पर नहीं लगाएगा।

19. अनुज्ञप्ति के समाप्त होने या उसके पूर्व समाप्ति पर निविदाकार को परिसर को खाली कर शांतिपूर्वक अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना को सौंपना होगा।

20. निविदाकार के कोई भी कर्मचारी, स्मारक के आस–पास अनावश्यक रूप से नहीं घूमेगा और न ही शोरगुल करेगा और न ही किसी पर्यटक एवं विभागीय कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करेगा।

21. निविदाकार किसी प्रकार का कोई स्थायी या अस्थायी निर्माण कार्य नहीं करेगा तथा प्राचीन स्मारक एवं उसके गार्डेन/परिसर को किसी प्रकार का क्षति नहीं पहुॅचाएगा।

22. निविदाकार किसी भी प्रकार से तालाब के इनलेट एवं आउटलेट को अवरूद्ध नहीं करेंगे। किसी परिस्थिति में अवरोध उत्पन्न होने पर उसकी तत्काल सफाई सुनिश्चित करेंगे।

23. **निविदाकर्ता अच्छी तरह संतुष्ट हो लें कि वर्तमान में यथास्थिति का कोई भी कारक (जैसा है वैसा ही के आधार पर) मछली के जीवन के नुकसान का कारण नहीं बनेगा। निविदा की अवधि में उक्त तालाब की साफ–सफाई, मछली मरने की स्थिति में उसकी तत्काल सफाई की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी। इस संदर्भ में तत्संबंधी किसी भी उल्लंन के लिए अधीक्षण पुरातत्वविद् को निविदाकर्ता पर उचित जुर्माना करने का अधिकार होगा एवं इसके भुगतान के बिना प्रतिभूति राशि लौटायी नहीं जाएगी।**

24. **निविदा की अवधि के दौरान माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा जारी निर्देश के अनुपालन के लिए निविदाकर्ता बाध्य होगा (निविदा प्रपत्र के नियम व शर्तों में उसका उललेख हो या नहीं हो)।**

25. निविदाकार परिसर को साफ–सुथरा रखेगा तथा ए0एम0ए0एस0आर0 अधिनियम 1958 तथा नियम 1959 का उल्लंघन नहीं करेगा।

26. निविदाकार को अपनी सम्पत्ति की रक्षा स्वयं करनी होगी तथा उसकी क्षति होने की स्थिति में अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना उत्तरदायी नहीं होगा।

27. बिना सूचना के अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है तथा जिसके लिए समानुपातिक प्रतिभूति किया जाएगा।

28. सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही मछली पकड़ने का कार्य करना होगा। यदि निविदाकार के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई शिकायत मिलती है और अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पटना अंचल, पटना द्वारा सही पाया जाता है तो अनुज्ञप्ति राशि लौटाए बिना अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी तथा अनुज्ञप्ति राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। जैसा कि उपरोक्त पैरा–2 में अन्तर्विष्ट है।

29. निविदाकार संरक्षित क्षेत्र में खुदाई / उत्खनन कार्य नहीं करेगा, लेकिन तालाब में पानी रखने हेतु कार्य के लिए अनुमति दी जाती है लेकिन 1फीट की गहराई से अधिक के लिए नहीं। खुदाई के दौरान अगर निविदाकार को पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होता है तो उसकी सूचना तत्काल संरक्षण सहायक/केयर टेकर को देगा तथा खुदाई कार्य तब तक बंद रहेगा तब तक कि स्थल का निरीक्षण कार्य पूरा नहीं हो जाएगा।

30. मछली पालने एवं पकड़ने के दौरान अगर स्मारक को कोई नुकसान होता है तो अनुज्ञप्तिदाता द्वारा निर्धारित क्षति को निविदाकार द्वारा क्षति पूर्ति किया जाएगा।

31. चेक या नकद द्वारा भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा। केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रदत्त बैंक ड्राफ्ट ही स्वीकार्य होगा।

32. किसी विवाद की स्थिति में विवाद महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जनपथ, नई दिल्ली को अग्रसारित किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

मैं, उपरोक्त निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार करता हूँ एवं अनुपालन हेतु वचन देता हूँ।

नोटः– विवाद की स्थिति में मूल भाषा 'अंग्रजी' मान्य होगा।

(निविदाकार का हस्ताक्षर)
पूरा नाम एवं पता